भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4541

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

दिल्ली में पीएम-एसजीएमबीवाई

4541. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विगत वर्ष पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत कितने घरों को सौर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) दिल्ली में अब तक इस योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी की राशि और अब तक बचाई गई बिजली की मात्रा क्या है; और

(ग) सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) फरवरी, 2024 से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देशभर में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य, वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर स्थापित करना है।

यह योजना मांग आधारित है और इसके लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य आवंटित नहीं किए जाते हैं। देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम के ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पिछले वर्ष अर्थात दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 31.12.2024 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर की स्थापना से कुल 2274 परिवारों को लाभ हुआ है।

दिनांक 12.08.2025 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 21.33 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

योजना के शुभारंभ से, दिनांक 12.08.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत कुल 14.89 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता की स्थापना की गई है।

सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर +50 bps अर्थात वर्तमान के लिए 6% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों की समयावधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

*****